## जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक दिनांक 15.03.2007 में लिये गये निर्णय/कार्यवाही का विवरण ।

| क्र.स. | ए.सं. | विषय | बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी | पालना रिपोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113.1 | कार्यकारी समिति की 112 वीं बैठक दिनांक 14.02.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। | | |
| 2 | 113.2 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर के ख.नं. 1190 रकबा 1.29 है0 भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने के संबंध में। (रूपचन्द बुनकर) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर के ख.नं. 1190 रकबा 1.29 है0 भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे। | निदेशक (आयोजना) / जोन–11 | |
| 3 | 113.3 | नानक पुरी गृ.नि.स.समिति की योजना गोमस डिफेन्स कालोनी के भू.सं. 281 का भू–उपयोग आवासीय से वाणिज्यक किये जाने के संबंध में। (मै. हिमगिरी प्रमोटर्स) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोमस डिफेन्स कालोनी के भू.सं. 281 क्षेत्रफल 503.55 वर्गगज का भू–उपयोग आवासीय से वाणिज्यक ऐजेण्डे में प्रस्तुत पैरामीटर्स के अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया। | निदेशक (आयोजना) / जोन–7 | |
| 4 | 113.4 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम जाहोता तहसील आमेर के ख.नं. 1900 रकबा 0.01 है0 एवं ख.नं. 1901 रकबा 0.58 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 है0 भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (चन्दा पुत्र मांग्या) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम जाहोता तहसील आमेर के ख.नं. 1900 रकबा 0.01 है0 एवं ख.नं. 1901 रकबा 0.58 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 है0 भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे। | निदेशक (आयोजना) / जोन–12 | |
| 5 | 113.5 | जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम 1984 की अनुसूची संख्या ।।। अभियांत्रिकी सेवा के कम संख्या 5 अधिनस्थ अभियन्ता के नीचे के तकनीकी पदो के सृजन बाबत। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) द्वारा प्रस्तुत ऐजेण्डे के अनुसार पद सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं रेप्सर ऐक्ट के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। | अति. आयुक्त (प्रशासन) | |
| 6 | 113.6 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चैनपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 4/374 क्षेत्रफल 5581.11 व.ग. भूमि का भू–उपयोग आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (मै. क्षीर सागर) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा लगायी गई शर्तो की पूर्ति जोन स्तर से करायी जावें। | निदेशक (आयोजना) / जोन–4 | |
| 7 | 113.7 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर के ख.नं. 335, 344, 345, 349, 352 कुल किता 5 रकबा 8.00 है0 भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (ग्रीन सीटी डवलपर्स) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर के ख.नं. 335, 344, 345, 349, 352 कुल किता 5 रकबा 8.00 है0 भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे। | निदेशक (आयोजना) / जोन–11 | |
| 8 | 113.8 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नांगल बड गुजरान तहसील सांगानेर के ख.नं. 63 क्षेत्रफल 2.17 है0 में से 18699.06 व.मी. भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (कुसुम लता) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नांगल बड गुजरान तहसील सांगानेर के ख. नं. 63 क्षेत्रफल 2.17 है0 में से सडक सीमा में आने वाली 3001.00 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष भूमि 18699.06 व.मी. भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे। | निदेशक (आयोजना) / जोन–11 | |
| 9 | 113.9 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के ख.नं. 1944, 1945, 1946, 1954, 1955, 1956, 1957/1, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 1929/2559, 2003, 1942/2558, 1996/2533, 2001/2632, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009/2597, 2018/2561, 2030/2560 कुल किता 30 क्षेत्रफल 6.25 है0 में से 48635.20 व.मी. भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (ओमकार बिल्डकॉन प्रा.लि.) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति 1956, 1957/1, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 1929/2559, 2003, 1942/2558, 1996/2533, 2001/2632, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009/2597, 2018/2561, 2030/2560 कुल किता 30 क्षेत्रफल 6.25 है0 में से मास्टर प्लान की सडक में निहित होने वाली 3088.80 व.मी. भूमि, एवं प्लांटेशन कोरिडोर में आने वाली 4791 व. मी. एवं गैस पाईप लाईन में निहित होने वाली 5985 व.मी भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष भूमि 48635.20 व.मी. भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे। | निदेशक (आयोजना) / जोन–11 | |

| ए.सं. | | विषय | | अधिकारी | रिपोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| | 113.10 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर के ख.नं. 259/1257, 261 से 265, 273, 274, 277, 279, 280, 257, 275, 258, कुल किता 14 रकबा 5.48 है0 में से 63481.12 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (हाईटेक सिटी) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर के ख.नं. 259/1257, 261 से 265, 273, 274, 277, 279, 280, 257, 275, 258, कुल किता 14 रकबा 5.48 है0 में से सड़क में निहित होने वाली 2066.16 व.ग. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष भूमि 63481.12 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे। | निदेशक (आयोजना)/ जोन-11 | |
| 11 | 113.11 | अंसल टाउनशिप एण्ड प्रोजेक्ट लि. को रास्ते हेतु हाथोज करधनी योजना में भूखण्ड सी-35, सी-36 एवं सी-37 में से 600 व.मी. एवं ग्राम हाथोज की करधनी योजना से लगती हुई 885 व.मी. कुल 1515 व.मी. आवंटित भूमि की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण बाबत्। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण को नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जोन-12 | |
| 12 | 113.12 | श्री प्रहलाद सिंह, कनिष्ठ लेखाकार की प्रतिनियुक्ति अवधि 4 वर्ष पश्चात 1 वर्ष अर्थात दिनांक 17.10.2006 से 16.10.2007 तक बढाने बाबत्। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री प्रहलाद सिंह, कनिष्ठ लेखाकार की प्रतिनियुक्ति अवधि 4 वर्ष पश्चात 1 वर्ष अर्थात दिनांक 17.10.2006 से 16.10.2007 तक बढाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 4 वर्ष की अवधि के पश्चात का प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नही होगा। | अति.आयुक्त (प्रशासन) | |
| 13 | 113.13 | फिल्ड फायरिंग रेन्ज निवारू के अवार्डीयों को लालचन्दपुरा एवं अन्नतपुरा आवासीय योजनाओं में आवंटित भूखण्डों की दर के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि फिल्ड फायरिंग रेन्ज निवारू के अवार्डीयों हेतु विकसित की गई लालचन्दपुरा आवासीय योजना की आवासीय आरक्षित दर 1200/-रू. प्र.व.मी. एवं अन्नतपुरा आवासीय योजना की आवासीय आरक्षित दर 900/-रू. प्र.व.मी. तय किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। अवार्डियों को कार्नर भूखण्ड सहित मुआवजे के रूप में निःशुल्क आवंटित भूखण्डों का क्षेत्रफल मौके अनुसार घटत-बढत होती है, जिनके संबंध में अगर नाप घटती है तो उक्त आरक्षित दर से राशि दी जावे या नाप बढती है तो उक्त आरक्षित दर से राशि वसूल कर ली जावें। | उपायुक्त जोन-12 | |
| 14 | 113.14 | पत्रकार कालोनी ग्राम धोलाई में आवासीय भूखण्ड स. 59 (कार्नर) क्षेत्रफल 402.50 व.मी. की राशि देरी जमा कराने के कारण नियमितिकरण बाबत्। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण को नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। | अति.निदेशक राजस्व-एव सम्पति निस्तारण | |
| 15 | 113.15 | जविप्रा क्षेत्र मे स्थित ग्राम बीडखातीपुरा तहसील जयपुर के ख.नं. 92/1 क्षेत्रफल 20721.25 व.ग. भूमि का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्री इन्द्र विजय सिंह) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण को पुनः जांच कर आगामी बैठक मे प्रस्तुत करने निर्णय लिया गया। | निदेशक (आयोजना)/ जोन-7 | |
| 16 | 113.16 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम मिश्र का बाड उर्फ मुरलीपुरा तहसील सांगानेर की आवेदित भूमि के ख.नं. 11, 12, 21, 22, 23, 25/2 कुल किता 5 रकबा 1.66 है0 में से 15029.50 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण पार्क एवं खुला स्थान से आवासीय किये जाने के संबंध में। (विरासत प्रोपर्टीज) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान में दर्शाये भू-उपयोग के अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग पार्क एवं खुला स्थान है। ऐसी भूमि का भू-उपयोग आवासीय करने पर पार्क एवं खुला स्थान की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु विस्तृत परीक्षण के पश्चात् प्रकरण कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। | निदेशक (आयोजना)/ जोन-11 | |
| 17 | 113.17 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के ख.नं. 298, 299, 300, 309, 310, 440/1124, 445/1125, 452, 453, 454, कुल किता 10 रकबा 32500.00 व.मी. में से 28980.00 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने बाबत्। (हाईटेक डवलपर्स) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के ख.नं. 298, 299, 300, 309, 310, 440/1124, 445/1125, 452, 453, 454, कुल किता 10 रकबा 32500.00 व.मी. में से नेशनल हाईवे में आने वाली 880.00 व.मी. एवं प्लान्टेशन कोरिडोर में आने वाली 26[illegible]0.00 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 28980.00 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे। | निदेशक (आयोजना)/ जोन-11 | |

| | ए.सं. | विषय | बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी | पालना रिपोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 113.18 | भू.सं. ए–20 अनिता कालोनी बजाज नगर जयपुर का भू–उपयोग आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (आशा रानी गुप्ता) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भू.सं. ए–20 अनिता कालोनी बजाज नगर जयपुर क्षेत्रफल 535.69 व.ग. भूमि का भू–उपयोग आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। | निदेशक (आयोजना) / जोन–1 | |
| 19 | 113.19 | जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित श्री मालीराम पुत्र गोपीनाथ शर्मा एवं जगदीश प्रसाद पुत्र सुणाराम द्वारा द्वारा ग्राम चौंमू के ख.न. 3076/1 रकबा 0.09 है0 (900 व.मी.) भूमि का भू–उपयोग नर्सरी ओचार्ड से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (मालीराम) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति की 111 वीं बैठक दिनांक 22.1.07 में रही क्षेत्रफल की त्रुटि को दुरस्त किया गया कि रूपान्तरण का संशोधित क्षेत्रफल 760.60 व.मी. एवं सडक में आने वाला भू–भाग का क्षेत्रफल 139.40 व.मी. है। | निदेशक (आयोजना), जोन–12 | |
| 20 | 113.20 | जविप्रा अपीलीय अधिकरण में नियुक्त रिटेनरशिप अभिभाषक के पारिश्रमिक में वृद्धि हेतु। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निदेशक (विधि) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। | निदेशक (विधि) | |
| अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA) | | | | | |
| 21 | 113.21 | राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित जविप्रा से सम्बन्धित न्यायिक प्रकरणों की पैरवी हेतु निर्धारित फीस के संशोधन बाबत्। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निदेशक (विधि) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। | निदेशक (विधि) | |
| 22 | 113.22 | विभिन्न जिला न्यायालयो, सिविल न्यायालयों, राजस्व न्यायालयो, उपभोक्ता न्यायालयो, श्रम न्यायालयो, आदि में लम्बित जविप्रा से सम्बन्धित न्यायिक प्रकरणों में पैरवी हेतु नियुक्त रिटेनर अभिभाषको के पारिश्रमिक एवं वाहन भत्ता में संशोधन बाबत्। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निदेशक (विधि) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। | निदेशक (विधि) | |
| 23 | 113.23 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 66, 67, 68, 79, रकबा 12730.50 व.मी. में से 1365.50 व.मी. नेशनल हाईवे एवं 1980.00 व.मी. प्लान्टेशन कोरिडोर में छोडने के पश्चात शेष 9385.00 व.मी. क्षेत्रफल का भू–उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक एवं ख.नं. 66, 67, 69, से 72, 79, 66/345 रकबा 48519.50 व.मी. भूमि में से 514.50 व.मी. नेशनल हाईवे एवं 735.00 व.मी. भूमि प्लान्टेशन कोरिडोर में छोडने के पश्चात शेष 47270.00 व.मी. भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 66, 67, 68, 79, रकबा 12730.50 व.मी. में से 1365.50 व.मी. नेशनल हाईवे एवं 1980.00 व.मी. प्लान्टेशन कोरिडोर में छोडने के पश्चात शेष 9385.00 व.मी. क्षेत्रफल का भू–उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक एवं ख.नं. 66, 67, 69, से 72, 79, 66/345 रकबा 48519.50 व.मी. भूमि में से 514.50 व.मी. नेशनल हाईवे एवं 735.00 व.मी. भूमि प्लान्टेशन कोरिडोर में छोडने के पश्चात शेष 47270.00 व.मी. भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे। | निदेशक (आयोजना) / जोन–11 | |

सचिव,
जविप्रा, जयपुर

405

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक प–2(ई.सी.)/जाविप्रा/[illegible]/योग–12/2007/ (5)–280 दिनांक 21/3/07

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:–

| क्र.स. | पद | विभाग का नाम |
|---|---|---|
| 1. | निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय | नगरीय विकास एवं आवासन [illegible] राजस्थान सरकार |
| 2. | महापौर | जयपुर नगर निगम। |
| 3. | जिला प्रमुख | जिला परिषद, जयपुर। |
| 4. | अध्यक्ष | राजस्थान आवासन मण्डल |
| 5. | शासन सचिव | नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर। |
| 6. | आयुक्त | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 7. | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक | रीको, जयपुर। |
| 8. | प्रबन्ध निदेशक | राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर। |
| 9. | प्रबन्ध निदेशक | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर। |
| 10. | जिला कलेक्टर | जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर। |
| 11. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | नगर निगम, जयपुर। |
| 12. | पुलिस अधीक्षक | पुलिस विभाग, जयपुर। |
| 13. | [illegible] | [illegible] विकास प्राधिकरण [illegible] |
| 14. | मुख्य नगर नियोजक | नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर |
| 15. | मुख्य अभियन्ता | सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर। |
| 16. | मुख्य अभियन्ता | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर। |
| 17. | मुख्य अभियंता | जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर। |
| 18. | निदेशक (विधि) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 19. | निदेशक (अभियांत्रिकी / प्रोजक्ट) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 20. | निदेशक (परियोजना) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 21. | निदेशक (आयोजना) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 22. | निदेशक (वित्त) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 23. | अतिरिक्त आयुक्त पूर्व / पश्चिम / प्रशासन / एल.पी.सी | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 24. | वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट / बीपीसी) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 25. | उपायुक्त जोन.......... | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 25. | विशेषाधिकारी (जन–सम्पर्क) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 26. | श्री ........ | निदेशक, ...... |

सचिव